न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास(बोकारो)।

विविध अपील वाद संख्या– 19/2014–15

–:आदेश:–

आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख के साथ

4–फारम सं0 563

...की ...ख्या ...तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
...12/19	प्रस्तुत वाद की कार्रवाई अपीलार्थी दयाल चन्द्र महतो, पिता स्व0 रूप लाल महतो, सा0 चास, टोला सोलागीडीह, थाना चास, जिला बोकारो के द्वारा अंचल अधिकारी, चास के विविध वाद संख्या 94/2013–14 में दिनांक 07.08.2014 को पारित आदेश के विरूद्ध अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से समर्पित आवेदन के आलोक में प्रारंभ किया गया है। साथ ही इनके द्वारा समय को छान्त करने हेतु U/S 5 Limitation Act. के तहत आवेदन दाखिल किया गया है। तत्पश्चात् इस न्यायालय द्वारा आवेदन को स्वीकृत करते हुए उभय पक्षों को सूचना निर्गत कर सुनवाई प्रारंभ की गई।	

विवादित भूमि

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
चास	30	615, 623, 593, 605, 637, 626, 609, 643	3171, 3170, 3168, 3169, 3161, 3158, 3159, 3160	1.41½ए0

अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन में उल्लेख किया गया है कि अंचल अधिकारी, चास द्वारा भू–मापी वाद सं0 94/2013–14 में दिनांक 07.08.2014 को पारित आदेश गलत एवं कानून के विरूद्ध है। अंचल अधिकारी, चास द्वारा अपीलार्थी के दस्तावेज पर विचार किये बिना आदेश पारित किया गया है। इनके द्वारा बताया गया है कि प्रथम पक्ष के पिता स्व0 रूपलाल महतो द्वारा केवाला सं0 2411 दिनांक 02.05.1929 से मुची राम महतो का हिस्सा का दो पैसा अंश खरीदा था। पुनः प्रथम पक्ष की माँ पार्वती महताईन ने गंधु महतो एवं अन्य से केवाला सं0 2319 दिनांक 19.03.1940 से रकवा 65½ बीघा भूमि खरीदा इस तरह वंशानुगत क्रम में प्रथम पक्ष को उपरोक्त भूमि प्राप्त हुआ। केवाला सं0 1387 दिनांक 09.02.1946 को निलाम खरीद कर बिनोदनी दासी ने आधी सम्पत्ति को बिक्री किया। माँ, पिता की मृत्यु के बाद प्रथम पक्ष लगातार राजस्व का भुगतान करते आ रहे है। प्रथम पक्ष द्वारा दिनांक 13.05.2013 को अंचल कार्यालय, चास में भूमि का मापी कर सीमांकन करने हेतु आवेदन दिया गया, परन्तु अंचल अधिकारी, चास द्वारा द्वितीय पक्ष के प्रभाव में आकर द्वितीय पक्ष के केवाला के आधार पर भूमि का मापी कर आदेश पारित किया गया एवं शेष भूमि का सीमांकन नहीं किया गया।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
	द्वितीय पक्ष द्वारा अपना लिखित जवाब दाखिल किया गया है। इनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि अपीलकर्त्ता की दादी जिन्होनें केवाला जोत पट्टा सं0 2319 दिनांक 19.03.1940 गंधु महतो एवं अन्य से खरीदगी भूमि रकवा 65½ बीघा में से केवाला सं0 10065 दिनांक 01.07.1961 से रकवा 40 बीघा जमीन धनंजय महतो, अनाथ महतो एवं अन्य को बिक्री किया। अनाथ महतो ने केवाला सं0 1922 दिनांक 24.03.2006 को रकवा 1.16½ ए0 भूमि बिक्री किया। तत्पश्चात् दीपक कुमार मोदी द्वारा केवाला सं0 3363 दिनांक 19.05.2009 से प्रियंका गुप्ता पति मुकेश कुमार गुप्ता को रकवा 0.05ए0, केवाला सं0 2169 दिनांक 06.05.2009 से रूपक घोष को रकवा 0.04ए0, केवाला सं0 2967 दिनांक 06.05.2009 से बबीता देवी, पति भुवन सिंह चौधरी को रकवा 0.04ए0, केवाला सं0 3289 दिनांक 19.05.2009 से गुलाब देवी, पति हराधन कर्मकार को रकवा 0.03ए0, एवं केवाला सं0 1483 दिनांक 05.03.2009 से राम सिंह राम को रकवा 0.07ए0 भूमि बिक्री किया गया। उपरोक्त सभी क्रेतागण अंचल कार्यालय, चास से दाखिल खारिज करवाकर पक्का मकान व बाउण्ड्री बनाकर दखलकार है। अन्त में इनके द्वारा अंचल अधिकारी, चास के विविध वाद सं0 94/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 07.08.2014 को सही बताते हुए इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने का अनुरोध किया है एवं अपील वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है। प्रथम पक्ष विज्ञ अधिवक्ता एवं द्वितीय पक्ष को सूना। उनके द्वारा दाखिल कागजातों, लिखित जवाब एवं निम्न न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया। अंचल अधिकारी, चास के द्वारा सीमांकन हेतु आदेश पारित किया गया है। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपील दाखिल करना उचित प्रतीत नहीं होता है। द्वितीय पक्ष द्वारा पक्का मकान एवं बाउण्ड्री होने का उल्लेख किया गया है, जिसका अपीलार्थी के द्वारा कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, चास के द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं है। अतः अपील आवेदन Pre-mature होने के कारण अपीलार्थी द्वारा दाखिल अपील वाद को खारिज करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चास।	

Digitally signed by PRABHASH KUMAR DUTTA
Date: 2025.01.14 13:37:45 +05:30
Location: 192.168.1.42